



बिहार सरकार  
फॉर्म-X(क)

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र  
पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु  
(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

कार्यालय का नाम अंचल कार्यालय - नारायणपुर

प्रमाण-पत्र संख्या : NCLCO/2025/82227


दिनांक : 27/01/2025

प्रमाणित किया जाता है कि मो फरहान आलम(Md Farhan Alam), पिता-मो मंजूर आलम(Md Manzoor Alam), माता-सबीया रजा(Sabia Raza), ग्राम/मोहल्ला-Narayanpur, पोस्ट-Narayanpur, थाना- भवानीपुर ओपी, प्रखंड-नारायणपुर, अनुमंडल-नवगछिया, जिला-भागलपुर, राज्य बिहार राईन या कुंजरा (मुस्लिम) , राईन (मुस्लिम) समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 समय - समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) में अनुक्रमांक 98 पर अंकित है। अतः मो फरहान आलम, पुत्र- मो मंजूर आलम, माता-सबीया रजा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) का है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/1993 स्था० (एस०सी०टी०) दिनांक 08-09-1993, (समय-समय पर यथा संशोधित) के स्तम्भ -3 में वर्णित व्यक्ति / वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

स्थान : नारायणपुर

दिनांक : 27/01/2025



राजस्व अधिकारी नारायणपुर  
(हस्ताक्षर)

QR Code की जाँच <https://serviceonline.bihar.gov.in> पोर्टल एवं Play Store पर उपलब्ध ServicePlus Mobile App से करें।  
नोट: यह दस्तावेज DigiLocker पर भी उपलब्ध है।